

परिशिष्ट-अ

8. जनभागीदारी से संबंधित मध्यप्रदेश राजपत्र :

0 1000000 005 (1) 00000 00000 000

शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी का प्रारंभ एवं विकास

मध्यप्रदेश में राज्य शासन ने 30 सितम्बर 1996 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर जनभागीदारी समितियों का प्रारंभ इस प्रकार किया।

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक ४७१) भोपाल, सोमवार, दिनांक ३० सितम्बर १९९६ - आश्विन ८, शक १९१८

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
भोपाल, दिनांक ३० सितम्बर १९९६

क्र. एफ-73-6-96-सी-3-36-शासकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन में जन भागीदारी की दृष्टि से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

- (क) शासकीय महाविद्यालयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके स्थानीय प्रबंधन को एक समिति को सौंपा जाएगा, यह समिति "मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973" के अन्तर्गत पंजीकृत की जाएगी।
- (ख) इस समिति को यह अधिकार होगा कि यह महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वेच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करें, विभिन्न गतिविधियों पर फीस लगाएं या बढ़ाएं और कन्सलटेंट्स आदि के धन एकत्रित करें, इस संसाधनों का उपयोग यह समिति महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के लिए कर सकेगी, समिति जन सहयोग के जरिए महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक पर्यावरण बनाने में सहायक होगी, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिए गए हैं, उनकी प्रबंध समिति को अकादमिक मामलों में भी स्वायत्तता होगी, अर्थात् ऐसी समितियां स्थानीय स्तर पर प्रवेश नियम बनायेंगी, पाठ्यक्रमों का निर्धारण करेगी, अध्ययन-अध्यापन, परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की नई पद्धतियों का विकास करेंगी।
- (ग) समिति के कार्य कलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जायेगा, यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी, इस सभा का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा, राज्य शासन संबंधित नगर निकाय, जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य, विधायक अथवा सांसद में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त करेगा, सामान्य परिषद् का उपाध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि होगा, सामान्य परिषद् में विधायक, सांसद अथवा उनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

इन परिषद् में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, अभिभाषक, पूर्व विद्यार्थियों, स्थानीय संस्थाओं, दान-दाताओं, कुषकों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं पोषक शालाओं आदि के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, सामान्य परिषद् में अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि होंगे।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य

अवर सचिव
म.प्र. शासन
उच्च शिक्षा विभाग

श्रेणियों में न आये हों, परिषद् का सदस्य नामांकित किया जायेगा।

परिषद् में एक महिला अभिभावक को सदस्य नामांकित किया जायेगा यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो।

दानदाताओं के प्रतिनिधि का नामांकन निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर दानदाताओं में से किया जाएगा :

1. दस हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों द्वारा दस हजार रुपये से अधिक दान देने वालों में से,
2. दस हजार से पचास हजार तक की आबादी वाले स्थानों में रुपये पच्चीस हजार से अधिक दान देने वालों में से।
3. पचास हजार से एक लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में, रुपये पचास हजार से अधिक दान देने वालों में से।
4. एक लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक दान देने वालों में से, सामान्य परिपद में नामजद किए जाने वाले प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जाएं, महाविद्यालय के प्राचार्य इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

साधारणतः सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार होगी, आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी, परिषद् नीति-निर्धारण के साथ ही महाविद्यालय की गतिविधियों की सामान्य रूप से देखरेख करेंगी, परिषद् के कार्य-कलापों की प्रक्रिया विस्तृत रूप से निर्धारित कर दी गई है ताकि परिषद् के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो,

- (घ) सामान्य परिषद् के अतिरिक्त समिति के कार्य-कलापों के समुचित प्रबंधन के लिए प्रबंध समिति एवं वित्त समिति भी होगी,
- (ङ) प्रबंध समिति सभी प्रबंध संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार होगी तथा यह सामान्य परिषद् के कार्य सम्पादन में भी सहायक होगी, सामान्य परिषद् का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा, संभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिलाध्यक्ष एवं अन्य महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री उपाध्यक्ष होंगे, महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य सचिव होंगे, निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय के प्रमुख, महाविद्यालय के दो शिक्षक, विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि, दानदाताओं, एक अशासकिय संगठन तथा स्थानीय औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे, प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी,
- (च) वित्त समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होंगे, बैंकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी व्यक्ति, महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक, संबंधित कोषालय अधिकारी या इनके द्वारा मनोनीत उप कोषालय अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे, वित्त समिति महाविद्यालय में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के कार्य में सहायता करेंगी,
- (छ) समिति द्वारा स्थानीय रूप से एकत्रित किए गए वित्तीय संसाधनों को किसी अनुसूचित बैंक में समिति की निधि के रूप में रखा जायेगा, इस निधि का व्यय समिति द्वारा स्वयं निर्धारित नियमों प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालय की अधोसंरचना के विकास के लिए किया जायेगा, संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अंकेक्षक द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा, महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संचारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी,
- समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा, सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा, इसके लिए नियम बनाये जायेंगे।
- समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी, तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी, ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जायेंगी।
- (ज) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिए हैं उसका अकादमिक परिषद् और अध्ययन मण्डल भी होंगे, अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मण्डल महाविद्यालय अकादमिक कार्य-कलापों में स्वायत्तता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेंगे, इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियों एवं विशेषज्ञों तक ही सीमित रहेगी।
- (झ) समिति अपने कार्य के लिए कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगी, महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि में से

मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेगी,

- (त) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियाँ राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टाफ में से वर्तमान नियमों के अनुसार की जावेगी, भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिए जायेंगे, जिनकी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय होगी, परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
- (थ) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जांच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता है।
- (द) वह व्यवस्था प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में लागू की जायेगी,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.डी. अग्रवाल, उपसचिव,


अवर सचिव
म.प्र. शासन
उच्च शिक्षा विभाग